रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 246] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 7, 1979/श्रावण 16, 1901

No. 246] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 7, 1979/SRAVANA 16, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1979

सीमा-शुल्क

सा०का०नि० 466(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, अनावरित चलचित्र फिल्मों को जब उनका आयात भारत में किया जाये, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा शुल्क से और पश्चात् कथित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से इस शर्त के अधीन रहते हुए, छूट देती है, कि निकासी के समय सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर को रक्षा मंत्रालय से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि इस प्रकार आयातित उक्त फिल्म अनन्य रूप से रक्षा कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिये है और प्रधानतः शैक्षिक प्रकृति की है।

[सं० 173/फा०सं० 466/26/79-सीमा-शुल्क 5]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 7th August, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 466(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts cinematograph films, exposed, when imported into India from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned act, subject to the condition that a certificate from the Ministry of Defence is produced to the Assistant Collector of Customs at the time of clearance that the film so imported is exclusively meant for the training of defence personnel and is predominantly educational in character.

[No. 173-Customs/F. No. 466/26/79-CUS. V]

सीमा-शुल्क

सा०का०नि० 467(अ)—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) की धारा 31 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 104 सीमा-शुल्क, तारीख 10 मई 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में क्रम संख्या 226 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"227 सं० 173 सीमाशुल्क, तारीख 7-8-1979"

[सं० 174/फा० सं० 466/26/79-सी०शु० 5]

CUSTOMS

G.S.R. 467(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 31 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance Department of Revenue No. 104-Customs, dated the 10th May, 1979 namely :—

In the Schedule annexed to the said notification after Serial No. 226 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"227 No. 173-Customs, dated the 7-8-1979"

[Notification No. 174/F. No. 466/26/79-CUS. V]

सीमा-शुल्क

सा०का०नि० 468(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, ऐसे वायुयान इंजनों, उपसाधनों और घटकों (जिन्हें इसके पश्चात् वस्तु कहा गया है) को, जिनकी मरम्मत या जिन्हें ओवरहाल करना आवश्यक है तथा जब उन्हें भारत में आयात किया जाये तो, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क और उक्त पश्चात् कथित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है ।

परन्तु यह तब जब कि,—

(क) वस्तुओं की निकासी के समय सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर के समक्ष, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग या महानिदेशक सिविल विमानन का यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाये कि वस्तुओं की मरम्मत या ओवरहालिंग अपेक्षित है,

(ख) आयातकर्ता निम्नलिखित वचनबन्ध करते हुए एक बन्धपत्र निष्पादित करें:—

(1) कि आयात की तारीख से छह मास के भीतर या ऐसी वर्धित अवधि के भीतर जैसी सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर प्रत्येक मामले में अनुज्ञात करे, मरम्मत या ओवरहाल करने के पश्चात् वस्तुओं या समान वस्तुओं को पुन: निर्यात कर देगा या सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर के समक्ष उसके समाधानप्रद रूप में ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि जिस वस्तु की बाबत छूट का दावा किया गया है उसके निर्यात से पूर्व छह मास के भीतर एक समान वस्तुओं का पहले ही निर्यात किया जा चुका है;

(2) पुन: निर्यात या निर्यात से पूर्व वस्तुएं या समान वस्तुएं पहचान के लिये प्रस्तुत करेगा,

(3) इस खंड के उपखंड (1) के अनुपालन में असफल होने की दशा में शुल्क का संदाय करेगा ; और

(ग) वस्तुओं या समान वस्तुओं के पुन: निर्यात पर शुल्क की वापसी का न दावा किया गया है न किया जायेगा ।

2. यह अधिसूचना 30 जून, 1980, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तक प्रवृत्त रहेगी ।

[सं० 175/फा०सं० 458/77/73-सी०शु० V]

CUSTOMS

G.S.R. 468(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts such aircraft engines, accessories and components (hereinafter referred to as articles) as are in need of repairs or overhauling, when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act :

Provided that—

(a) a certificate from the Ministry of Defence, Department of Defence Production, or the Director General of Civil Aviation to the effect that the articles require repairing or overhauling, is furnished to the Assistant Collector of Customs at the time of clearance of the articles ;

(b) the importer executes a bond undertaking—

(i) to re-export the articles or like articles after repairs or overhauling, within six months from the date of importation or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow in each case or to produce evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs that a like article has already been exported within 6 months prior to the import of the article in respect of which the exemption is claimed ;

(ii) to produce the articles or like articles for identification before re-export or export ;

(iii) to pay the duty on failure to comply with the sub-clause (i) of this clause ; and

(c) no drawback of duty has been or shall be claimed on the re-export of the articles or the like articles.

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 30th day of June, 1980.

[No. 175-Customs/F. No. 458/77/73-CUS. V]

सीमा-शुल्क

सा०का०नि० 469(अ)—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) की धारा 31 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की

उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 104, तारीख 10 मई, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबन्ध अनुसूची में, क्रम सं० 227 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"228 सं० 175 सीमा-शुल्क, तारीख 7-8-1979"

[सं० 176/फा०सं० 458/77/73-सीं०शु०-5]

एस० बसु, अवर सचिव

CUSTOMS

G.S.R. 469(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 31 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 104-Customs, dated the 10th May, 1979 namely :—

In the Schedule annexed to the said notification after Serial No. 227 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"228 No. 175-Customs, dated the 7-8-1979"

[No. 176-Customs/F. No. 458/77/73-CUS. V]

S. BASU, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979